पश्चिम बंगाल राज्य

बनाम

हरेश सी. बनर्जी एवं अन्य

26 मई, 2004

(राजेन्द्र बाबू और सी.जे. एण्ड पी. वेंकटारामा रेडडी, जे.)

सेवा कानूनः पश्चिम बंगाल सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम:

संवैधानिक वैधता-अपील, चूंकि नियम 10(1) को शामिल करने का प्रश्न बड़ी संख्या में कर्मचारीयों को प्रभावित करता है, जिसे बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए -यद्यपि, राज्य सरकार को बकाया भुगतान के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करना होगा-पश्चिम बंगाल (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं संचालन) नियम, 1971ः नियम 10 का उप-नियम(1)।

इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा, वह पश्चिम बंगाल सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमो के नियम 10 (1) की संवैधानिक वैधता के संबंध मे था। उच्च न्यायालय ने निर्धारण करते हुए इस संविधान से परे माना। इसलिए वर्तमान अपील। इस न्यायालय ने अनुमति देते हुए

यह स्पष्ट कर दिया कि यदि अपील स्वीकार भी हो जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के अनुसार प्रतिवादी संख्या-1-सेवानितृत्त कर्मचारी को मिलने वाले लाभ का भुगतान वापिस नही लिया जायेगा, राज्य सरकार को भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

प्रकरण को बडी पीठ कार्ट प्रस्तुत करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

विचार के लिए एकमात्र प्रश्न पश्चिम बंगाल सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमों के नियम 10 (1) की संवैधानिक वैधता है। इसमें पश्चिम बंगाल (वर्गीकरण, नियंत्रण और संचालन) नियमों के संचालन के संबंध मे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। चूंकि, यह प्रश्न अक्सर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित करने वाला हो सकता है, इसलिए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2579/1998

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एफ.एम.ए.टी संख्या 1202/1998 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 06.05.1996 से।

तापस रे और एस.के. नंदी-अपीलकर्ता की और से

अमलान कुमार घोष-उत्तरदताओं की और से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

राजेन्द्र बाबू, सी.जे.:

इस मामले में, पश्चिम बंगाल सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृति लाभ) नियम (संक्षेप मे 'नियम') के नियम 10(1) की संवैधानिक वैधता शामिल है और उच्च न्यायालय ने माना है कि यह संविधान से परे है एवं प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति के बाद उसके खिलाफ विभागीय जांच करने को भी संविधान के दायरे से परे माना गया।

इस न्यायालय ने 01.05.1998 को दिए गए एक आदेश द्वारा, नियमों के नियम 10 के अधिकार के प्रश्न पर अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि भले ही यह अपील स्वीकार हो, उच्च न्यायारलय के निर्देशानुसार प्रतिवादी संख्या 1 को मिलने वाले लाभ वापिस नहीं लिये जायेंगे और अपीलकर्ता, प्रतिवादी नंबर 1 को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित समय के भीतर देय सभी बकाया, यदि कोई हो, उपलब्ध करायेगा।

अब विचार के लिए एकमात्र प्रश्न नियमों के नियम 10(1) की वैधता है। इसमें पश्चिम बंगाल (वर्गीकरण, नियंत्रण और संचालन) नियम, 1971 और उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम(1) के प्रश्न के रूप में बड़ा प्रश्न शामिल है। चूंकि ऐसे प्रश्न अक्सर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को

प्रभावित करते हुए उठ सकते हैं, इसलिए हम इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजना उचित समझते हैं।

एस.के.एस. बड़ी पीठ को भेजा गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी धूकलराम कसवॉ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।